



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

02 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 228 राँची, मंगलवार,

23 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-08/विविध (01)-77/2017- 368 -- चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में ध्वंसात्मक कार्यों को निवारित करने या दबाने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के निमित्त विशेष पूर्वावधानी बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत पावर ग्रिड काँरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 400/220/132 KV पावर ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु क्रमशः निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों के अंतर्गत सदर मेदिनीनगर अंचल के अंतर्गत ग्राम-लहलहे, थाना संख्या-239 के विभिन्न खाता एवं प्लाटों का लीज बंदोबस्त/अर्जित भूमि कुल भूमि 17.62 एकड़ रकबा एवं लेस्लीगंज अंचलान्तर्गत ग्राम-राजहारा, थाना संख्या-392/312 के विभिन्न खाता संख्या एवं प्लाटों का लीज बन्दोबस्त/अर्जित भूमि 22.48 एकड़ रकबा अर्थात् कुल सम्मिलित 40.10 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करती है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	चौहद्दी	प्लॉट सं०
1	पलामू	सदर मेदिनीनगर	लहलहे	239	53	41	0.11	उत्तर-	42, 43 एवं सिवाना, मौजा-राजहारा
					53	42	0.07		
					53	43	0.29	दक्षिण-	95, 47 एवं 49 का अंश
					53	45	0.64		
					53	46	4.50	पूर्व-	सीवाना मौजा राजहारा
					53	47	3.96		
					53	49	0.33	पश्चिम	42, 41, 44, 45 एवं 45 का अंशभाग।
					53	95	0.12		
					53	44	7.60		
					कुल रकबा (A)		17.62		
2	पलामू	लेस्लीगंज	राजहारा	392/312	192	648	1.28	उत्तर-	646, 649 का अंश 641, 639, 638 का अंश, 636 का अंश
					192	659	5.34		
					192	661	0.45		
					1	636	0.03		
					84	638	0.32		
					98	641	1.33		
					39	646	1.24		
					1	647	0.30	दक्षिण-	659, 670, 661, 678 का अंश
					41	649	2.09		
					79	650	0.26		
					76	651	2.55		
					85	652	0.46		
					84	653	0.88		
					79	655	1.23		

					79	656	0.96	पूर्व-	636, 652, 653, 655, 597, 661, 675	
					169	657	0.86			
					85	652	0.46			
					84	653	0.88			
					79	655	1.23			
					79	656	0.96			
					169	657	0.86			
					169	658	0.30	पश्चिम-	सीवाना मौजा लहलहे	
					1	670	0.14			
					1	672	0.72			
					1	673	0.43			
					1	674	0.34			
					1	675	0.97			
					कुल रकबा (B)-			22.48		
					कुल रकबा (A+B)-					17.62 + 22.48

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिलसन लकड़ा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
